

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 344/2015

संस्थापित दिनांक 09/06/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सीताराम जाटव पुत्र हरी जाटव उम्र 50 वर्ष
2. बंटी उर्फ केशव जाटव पुत्र रामनाथ जाटव उम्र 40 वर्ष
निवासीगण— वार्ड क्र0 7 नहर गोहल्ला गोहद जिला भिण्ड
3. गिरीश कुमार जाटव पुत्र बालकिशन जाटव उम्र 32 वर्ष
4. श्रीमती जानकी बाई पत्नि बालकिशन जाटव उम्र 70 वर्ष
निवासीगण— वार्ड क्र0 5 एचाया रोड़ गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 323, 506 भाग—2 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री सतीश मिश्रा।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 09.05.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 07/04/15 को करीबन 06:00 बजे एचाया रोड़ गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बादामीबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी बादामी बाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बादामीबाई की लात धूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी गिरीश, बंटी एवं सीताराम पर भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 323 तथा आरोपी जानकीबाई पर भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 323/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक फरियादिया बादामीबाई की बंटाई की खेती एचाया रोड़ गोहद में है। वह अपने खेत की रखवाली के लिए आती-जाती रहती है। घटना दिनांक 07.04.2015 की शाम करीबन 06:00 बजे वह अपने खेती की रखवाली करके अपने घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी गिरीश, सीताराम बालकिशन एवं जानकीबाई चारों लोग उसे देखकर मां बहन की गालियां देने लगे थे। जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो आरोपी जानकीबाई कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने दौड़ी थी और उससे कहा था कि तेरा आदमी जेल में है अब तू हमारा क्या करेगी। आरोपी गिरीश, सीताराम, बंटी भी उसे मारने दौड़े थे। वह वहां से भागी थी। सभी आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मौके पर उसके साथ उसकी लड़की प्रियंका भी मौजूद थी। फरियादिया बादामीबाई द्वारा घटनाकी रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र० 98/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.04.15 को शाम करीबन 06:00 बजे एचाया रोड़ गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बादामीबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बादामीबाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिभ्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादिया बादामीबाई की लात घूंसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया बादामीबाई अ०सा० 01, साक्षी प्रियंका अ०सा० 2, प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ०सा० 3, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 एवं ए०एस०आई उदलसिंह भदौरिया अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी गिरीश कुमार ब०सा० 1, मुन्ने खॉ अ०सा० 2 एवं बालकिशन ब०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बादामी अ०सा० 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग दो साल पहले की शाम 6

बजे की है। वह हार से अपने बटाई के खेती की रखवाली करके अपने घर बापिस आ रही थी जब वह आरोपीगण के दरबाजे पर पहुंची थी तो आरोपी सीताराम, बंटी, रवि एवं जानकीबाई, चारों उसे देखकर मां बहन की अश्लील गालियां देने लगे थे। साक्षी प्रियंका अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह खेत की रखवाली करके लौट रहे थे तो जैसे ही वह लोग बालकिशन के दरवाजे पर पहुंचे थे तो आरोपी गिरीश, सीताराम, बंटी ने गाली गलौच की थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी।

8. इस प्रकार फरियादी बादामीबाई अ0सा0 1 एवं प्रियंका अ0सा0 2 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालिया देना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिये जाने का आरोप हो वहां साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थी, साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बादामी अ0सा0 1 एवं प्रियंका अ0सा0 2 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना बताया है परन्तु यह नहीं बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादंस की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादंस की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्र0 02

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बादामीबाई अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी प्रियंका अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने कहा था कि “आज तो बच गई तू फिर नहीं बचेगी।”

11. इस प्रकार फरियादी बादामीबाई अ0सा0 1 एवं प्रियंका अ0सा0 2 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने क्या कहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भादंस की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय एवं अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भादंस की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बादामी अ0सा0 1 एवं प्रियंका अ0सा0 2 ने आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि किस आरोपी ने वास्तविक रूप से क्या कहा था। फरियादी बादामी अ0सा0 1 ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादंस की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादंस की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्र० 03

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बादामी अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग दो माह पूर्व की शाम 6 बजे की है वह हार से अपने बंटाई के खेत की रखवाली करके बापिस आ रही थी, जब वह आरोपीगण के दरवाजे पर पहुंची थी तब आरोपी रवि, सीताराम, बंटी एवं जानकीबाई उसे मां बहन की गालियां देने लगे थे, जब उसने आरोपीगण से गाली देने से मना किया था तो जानकी बाई ने उसके कुल्हाड़ी मारी थी जो उसके बाये हाथ की कोहिनी के पास लगी थी तथा बंटी, गिरीश, सीताराम एवं जानकीबाई ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसकी दाहिनी जांघ एवं पीठ में चोट आई थी। उक्त घटना उसकी लड़की प्रियंका ने भी देखी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र०पी० 1 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। नक्शमौका प्र०पी० 2 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था।

13. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने रिपोर्ट घटना के एक दिन बाद की थी। वह शाम को रिपोर्ट करने गई थी तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली थी। घटना वाले दिन शाम को उसके साथ उसकी बच्ची प्रियंका रिपोर्ट करने गई थी परन्तु पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। पद क्र० 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि दूसरे दिन जब वह घटना की रिपोर्ट करने गई थी तो पुलिस वालों ने उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी उसके पश्चात् ही उसने प्र०पी० 1 पर अपना अंगूठा लगाया था। उसने अपनी रिपोर्ट में जानकीबाई द्वारा कुल्हाड़ी मारने वाली बात एवं आरोपी बंटी, सीताराम एवं गिरीश द्वारा उसकी लात घूंसों से मारपीट करने वाली बात लिखा दी थी, अगर न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। पद क्र० 8 में उक्त साक्षी का कहना है कि झगड़े के समय मौके पर वह और उसकी लड़की मौजूद थी अन्य कोई मौजूद नहीं था। पद क्र० 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे कुल्हाड़ी हार की तरफ से मारी थी जो उसके बाये हाथ की कोहिनी में लगी थी जिससे खून निकला था, उसके कपड़े खराब हो गये थे उसने खून से बिगड़े कपड़े पुलिस को नहीं दिखाये थे और न ही जप्त कराये थे।

14. साक्षी प्रियंका अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में फरियादी बादामी अ०सा० 1 के कथन के का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा बादामी की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

15. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.04.2015 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आरक्षक सुनील दुबे द्वारा लाये जाने पर आहत बादामी का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान आहत पीठ में बायीं तरफ एवं दायीं जाघ पर बाहर की ओर तथा पंजे पर बाहर की ओर दर्द बता रही थी। आहत के कोई दर्शनीय चोट नहीं थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि महिला ने जो दर्द बताया था वह पुरानी चोटों का भी हो सकता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उक्त चोटे चार पांच महीने अथवा उससे ज्यादा पुरानी हो सकती हैं।

16. ए०एस०आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा० 5 ने प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ०सा० 3 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

17. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण परस्पर हितबद्ध हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

18. बचाव पक्ष की ओर से उक्त संबंध में आरोपी गिरीश ब0सा0 1, मुन्ने खॉ ब0सा0 2 एवं बालकिशन ब0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है। साक्षी गिरीश कुमार ब0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसका एवं सीताराम, बंटी तथा जानकी देवी का बादामी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। दिनांक 27.01.2015 को बादामी के पति राजेन्द्र, अनिल और केदार ने उसके पिता बालकिशन को प्राण घातक चोटे पहुचाई थी जिसकी रिपोर्ट उसके पिता बगैरह ने गोहद थाने में की थी, जिस पर से उनके विरुद्ध सेशन न्यायालय गोहद में मामला संचालित है। उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0 1 लगायत प्र0डी0 3 है। फरियादी बादामी दिनांक 09.11.2014 को अपनी लड़की रामवती के साथ गोहद चौराहे ऑटो में बैठकर जा रही थी तथा ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था जिससे बादामी एवं अन्य लोगों को चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट थाने पर हुई थी। उक्त दस्तावेज प्र0डी0 4 लगायत प्र0डी0 11 है।

19. बचाव साक्षी मुन्ने ब0सा0 2 ने आरोपीगण और बादामी के बीच कोई झगड़ा न होना बताया है। बालकिशन ब0सा0 3 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि बादामी के पति राजेन्द्र, जेट अनिल एवं देवर ने उसकी मारपीट की थी जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बादामी अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने खेतों की रखवाली करके आ रही थी तो आरोपीगण के दरवाजे पर आरोपी सीताराम, बंटी, जानकीबाई एवं रवि उसे गालियां देने लगे थे फिर जानकीबाई ने उसके बाये हाथ की कोहिनी में कुल्हाड़ी मारी थी तथा बंटी, गिरीश, सीताराम एवं जानकीबाई ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की थी। साक्षी प्रियंका अ0सा0 2 ने भी जानकीबाई द्वारा बादामी की कुल्हाड़ी से मारपीट करना तथा सीताराम, बंटी एवं गिरीश द्वारा बादामी की लात घूंसों से मारपीट करना बताया है। परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपीगण ने फरियादी बादामी की कुल्हाड़ी एवं लात घूंसों से मारपीट की थी प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जानकीबाई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ी थी तथा शेष आरोपीगण भी मारने दौड़े थे तो बादामी वहां से भाग गई थी। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी बादामी की मारपीट की थी। यद्यपि फरियादी बादामीबाई के पुलिस कथन में आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने का उल्लेख है परन्तु यह बात बादामी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताई गई है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी बादामी अ0सा0 1 के कथन प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं, जो अभियोजन घटना का संदेहास्पद बना देता है।

21. फरियादी बादामी अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी जानकी ने उसके कुल्हाड़ी मारी थी तथा इसके बाद सभी आरोपीगण ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे कुल्हाड़ी धार की तरफ से मारी थी तथा कुल्हाड़ी लगने से उसके बाये हाथ की कोहिनी से खून निकला था जिससे उसके कपड़े खराब हो गये थे परन्तु उक्त सभी तथ्यों का उल्लेख प्र0पी0 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए0एस0आई0 उदल सिंह भदौरिया अ0सा0 5 जिसके द्वारा प्र0पी0 1 की प्रथम

सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है, ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि फरियादिया के शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे। प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ०सा० 3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने बादामीबाई के शरीर पर चोटों के निशान नहीं देखे थे। फरियादी बादामीबाई ने मारपीट में उसके बाये हाथ की कोहिनी से खून निकलना बताया है जबकि ए०एस०आई० उदलसिंह भदौरिया अ०सा० 5 एवं महेश धाकरे अ०सा० 3 का कहना है कि उन्होंने फरियादी बादामी के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी बादामी अ०सा० 1 के कथन प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ०सा० 3 एवं ए०एस०आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा० 5 के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

22. फरियादी बादामी अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते वक्त आरोपी जानकी द्वारा उसकी कुल्हाड़ी से मारपीट करना तथा आरोपी बंटी, गिरीश एवं सीताराम द्वारा उसकी लात घूँसो से मारपीट करना लिखाया था जबकि प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं है ए०एस०आई० उदल सिंह भदौरिया अ०सा० 5 जिसके द्वारा प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि फरियादी ने कुल्हाड़ी एवं लाठी से चोट पहुंचाने के बारे में नहीं बताया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 07.04.2015 की शाम 6 बजे की है एवं फरियादिया द्वारा थाने पर सूचना दिनांक 08.04.2015 को साढ़े 10 बजे दी गई है। इस प्रकार फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट विलम्ब से घटना के दूसरे दिन की गई है तथा उक्त संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा यह बताया गया है कि वह शाम को ही थाने पर रिपोर्ट करने गई थी परन्तु पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी किन्तु फरियादी का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया है कि कुल्हाड़ी लगने से उसके हाथ से खून निकला था तथा उसके कपड़े खराब हो गये थे एवं यह अत्यंत अस्वभाविक प्रतीत होता है कि फरियादी खून आलूदा चोटे लेकर थाने पर रिपोर्ट करने गई हो एवं पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट न लिखी हो तथा उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए न भेजा हो। फरियादी बादामी अ०सा० 1 का ऐसा कहना भी नहीं है कि संबंधित थाने की पुलिस आरोपीगण से हितबद्ध थी। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि पुलिस एवं आरोपीगण के मध्य कोई हितबद्धता थी ऐसी स्थिति में फरियादी बादामी अ०सा० 1 का यह कथन कि वह घटना दिनांक को ही शाम को रिपोर्ट करने गई थी परन्तु पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, सत्य नहीं है।

23. फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते वक्त आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना लिखाया था परन्तु प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा फरियादी बादामी की मारपीट किये जाने का उल्लेख नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस वालों ने उसे पढ़कर सुनाई थी एवं तब उसने रिपोर्ट पर अपना अंगूठा लगाया था। फरियादी बादामी अ०सा० 1 के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाई गई थी एवं रिपोर्ट सही होने के पश्चात् ही उसके द्वारा प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगूठा लगाया गया था। यदि वास्तव में प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी बादामी अ०सा० 1 के बताये अनुसार नहीं लिखी गई थी तो फरियादिया को उसी समय उक्त संबंध में आपत्ति प्रकट करना चाहिए था परन्तु बादामी अ०सा० 1 का ऐसा कहना नहीं है कि उसने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाये

जाने के पश्चात् संबंधित पुलिस वालों से उसके बताये अनुसार रिपोर्ट न लिखने के बारे में शिकायत की थी। ऐसी स्थिति में फरियादी बादामी अ०सा० 1 का यह कथन कि उसने प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात लिखाई थी, सत्य प्रतीत नहीं होती हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि फरियादी बादामी अ०सा० 1 के पुलिस कथन में आरोपीगण द्वारा बादामी की मारपीट किये जाने का उल्लेख है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है यदि वास्तव में आरोपीगण द्वारा फरियादी बादामी की मारपीट की जाती तो इसका उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता परन्तु प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी एवं लात घूंसे से फरियादी बादामी की मारपीट की थी, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा पुलिस कथन दिये जाते समय अपने कथनों में सुधार करते हुए आरोपीगण को येन-केन प्रकारेण अपराध में फांसने के लिए असत्य कथन दिया गया है।

24. फरियादी बादामी अ०सा० 1 ने आरोपी जानकी द्वारा उसके बाये हाथ में कुल्हाड़ी मारना तथा शेष आरोपीगण द्वारा उसकी लात घूंसे से मारपीट करना जिसकी उसकी दाहिनी जांघ एवं पीठ में चोट आना बताया है परन्तु फरियादी बादामी की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 में बादामी के शरीर पर कोई दर्शनीय चोट होना दर्शित नहीं है फरियादी बादामी ने उसके बाये हाथ में कुल्हाड़ी से चोट आना बताया है परन्तु चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 में उसके बाये हाथ में कोई चोट होना वर्णित नहीं है। फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान अपनी पीठ, जांघ एवं बाये पंजे पर दर्द होना बताया गया है जिसके संबंध में डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 का कहना है कि वह दर्द 4-5 माह पुरानी चोटों का भी हो सकता है। इस प्रकार फरियादी बादामी अ०सा० 1 के कथन की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 ने भी नहीं हो रही है। चिकित्सीय रिपोर्ट से भी फरियादी के शरीर पर कोई चोट होना दर्शित नहीं है, यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

25. जहां तक साक्षी प्रियंका अ०सा० 2 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी प्रियंका अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी मां की मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि मारपीट से उसकी मां बेहोश हो गई थी एवं वह घटना के बाद उसी समय अपनी मां को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल ले गई थी एवं रात में ही उसकी मां की पट्टी कर दी गई थी परन्तु यह बात कि फरियादी बादामी मारपीट के दौरान बेहोश हो गई थी स्वयं फरियादी बादामी अ०सा० 1 द्वारा नहीं बताई गई है इसके अतिरिक्त साक्षी प्रियंका अ०सा० 2 का कहना है कि रात्रि में ही शासकीय अस्पताल में उसकी मां का इलाज हुआ था परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सीय रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है एवं चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 3 में फरियादी बादामी के शरीर पर कोई चोट होना दर्शित नहीं है ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि साक्षी प्रियंका अ०सा० 2 के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है।

26. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह दर्शित होता है कि बालकिशन की रिपोर्ट पर फरियादी बादामी के पति एवं देवर तथा जेठ के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व रंजिश प्रमाणित है। फरियादी बादामी अ०सा० 1 के कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है।

27. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी बादामी अ0सा0 1, प्रियंका अ0सा0 2, प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ0सा0 3 एवं ए0एस0आई0 उदल सिंह भदौरिया के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी बादामी अ0सा0 1 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं उक्त अपराध में आरोपीगण को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

28. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.04.2015 को शाम करीबन 6 बजे एचाया रोड़ गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बादामीबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी बादामीबाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बादामीबाई की लात घूंसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी गिरीश, सीताराम एवं बंटी उर्फ केशव को भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2 एवं 323 तथा आरोपी जानकीबाई को भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2 एवं 323/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

30. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 09/05/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
क उपयोग